

**कायालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर**  
**पत्रांक 2006/मीरजापुर/33, दिनांक, मीरजापुर, जनवरी, 20, 2016।**

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नाइल अधिकारी

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय- मीरजापुर में वारणसी-शिवनगर मार्ग (एस10 एच0-5ए) कि0मी0 सं0-5.050 से 10.050 तक के

चौकीकरण, सुदृढीकरण एवं विद्युत पोल शिफ्टिंग हेतु 9.00 हे0 संरक्षित वन भूमि के वीर वानिकी प्रयोग एवं 672

वृक्षों के पालन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ- आपका कायालय पत्रांक-1440/11-सी-UP/041/2015 दिनांक 12.01.2016।

सहाय्य

विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक-8 बी0/ 29/2015/एफ0सी0/1036 दिनांक 04.12.2015 के अनुपालन में प्रस्तावक संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या एवं 12 कालम प्रपत्र इस कायालय के पत्रांक-1897/दिनांक 04.01.2016 द्वारा संलग्न कर प्रेषित किया गया था, पुनः अधीक्षित अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है:-

शर्तें सं0-1- के अनुपालन में प्रयोज्य आधिकारण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित वन भूमि के दृग्गत अवगत वन भूमि अर्थात् 18.00 हे0 (9.00X2=18.00 हे0) पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक बनवाहो (वर्तमान दरों को समायोजित करते हेतु यथा संशोधित) 18.00 हे0 X 2.30,460.00= 41,480,000.00 (इकलालिस लाख अठ्ठात्तिस हजार) and Planning Authority) में RTGS के माध्यम से जमा की गयी, जिसका Tran Ref No- P15121896367455 दिनांक 18.12.2015 है रसीद की प्रति संलग्न है। (संलग्न-1)

शर्तें सं0-2- के अनुपालन में प्रयोज्य आधिकारण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट विभाग (सिविल) 202/1995 के

अन्तर्गत आई0एच0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार युद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) की निर्धारित राशि -9.00 हे0 X 8.87 लाख =7983000.00 (उन्नाई लाख अठ्ठात्तिस हजार) मात्र प्रतिपूर्ति पेशवायण निधि प्रबन्धन तथा योजना आधिकारण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में RTGS के माध्यम से जमा की गयी, जिसका UTR No-CNRBR52015121800752505 दिनांक 18.12.2015 है। रसीद की प्रति संलग्न है। (संलग्न-2) एवं शर्तें संख्या-3,4,5,6 के अनुपालन की वजनबद्धता प्रस्तावक संस्था द्वारा उक्त संदर्भित पत्र में दी गई है।

शर्तें सं0-3- परिशोधना महाप्रबन्धक (तकनीकी) उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग आधिकारण द्वारा इस आशय की

दिनांक 29.12.2015 के शर्तें सं0-3 में उल्लिखित है कि- उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग आधिकारण द्वारा इस आशय की शर्तें सं0-3 में उल्लिखित है कि- उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग आधिकारण द्वारा इस आशय की परिशोधना महाप्रबन्धक (तकनीकी) उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग आधिकारण के पत्रांक-2288/ग्रावि0-18(4)/2015-16

शर्तें सं0-4- परिशोधना महाप्रबन्धक (तकनीकी) उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग आधिकारण के पत्रांक-2288/ग्रावि0-18(4)/2015-16

दिनांक 29.12.2015 के शर्तें सं0-4 में उल्लिखित है कि- उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग आधिकारण द्वारा इस आशय की शर्तें सं0-4 में उल्लिखित है कि- उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग आधिकारण द्वारा इस आशय की परिशोधना महाप्रबन्धक (तकनीकी) उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग आधिकारण के पत्रांक-2288/ग्रावि0-18(4)/2015-16

शर्तें सं0-5- परिशोधना महाप्रबन्धक (तकनीकी) उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग आधिकारण के पत्रांक-2288/ग्रावि0-18(4)/2015-16

दिनांक 29.12.2015 के शर्तें सं0-5 में उल्लिखित है कि-पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। परिशोधना महाप्रबन्धक (तकनीकी) उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग आधिकारण के पत्रांक-2288/ग्रावि0-18(4)/2015-16

शर्तें सं0-6- परिशोधना महाप्रबन्धक (तकनीकी) उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग आधिकारण के पत्रांक-2288/ग्रावि0-18(4)/2015-16

दिनांक 29.12.2015 के शर्तें सं0-6 में उल्लिखित है कि- उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग आधिकारण द्वारा इस आशय की शर्तें सं0-6 में उल्लिखित है कि- उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग आधिकारण द्वारा इस आशय की परिशोधना महाप्रबन्धक (तकनीकी) उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग आधिकारण के पत्रांक-2288/ग्रावि0-18(4)/2015-16

संलग्न:-

- 1- आर0टी0जी0एच0 रिफ ट्रान Ref No- P15121896367455 दिनांक 18.12.2015।
- 2- आर0टी0जी0एच0 रिफ UTR No-CNRBR52015121800752505 दिनांक 18.12.2015।
- 3- प्रस्तावक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुपालन आख्या की प्रति।
- 4- 12 कालम का प्रपत्र।

प्रभागीय वनाधिकारी  
 मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर  
 महीराय